

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(36) ग्रावि/अनु-5/GKN/BSR/2021-22 जयपुर दिनांक :- 07 अप्रैल, 2022

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, चित्तौडगढ़, दौसा,
जयपुर, भीलवाडा, जालौर, करौली, नागौर, एवं सवाई माधोपुर, राजस्थान।

विषय:- वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत समितिवार दर अनुसूची (BSR) लागू करने बाबत।
प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 13.12.21, 28.01.22, 04.03.22 24.03.22 एवं 30.03.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 2010 के बिन्दु संख्या 8 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2022-23 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (BSR) तैयार करने के क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिनांक 18.3.2022 तक जिला दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित कराकर अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार "बीएसआर सॉफ्ट" पर अपलोड कर दिनांक 1.4.2022 से लागू / प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

"बीएसआर सॉफ्ट" पर आदिनांक 30.03.2022 को प्रदर्शित रिपोर्ट अनुसार अभी तक केवल 22 जिलों द्वारा ही वर्ष 2022-23 के लिए बीएसआर दर प्रभावी की गयी है। अन्य 11 जिलों की पंचायत समितियों में बीएसआर दर अभी तक प्रभावी नहीं की गई है, जो खेद जनक है।

"बीएसआर सॉफ्ट" पर प्रदर्शित प्रगति निम्नानुसार है :-

विवरण	जिला
जिले की सभी पंचायत समितियों में बीएसआर प्रभावी (22 जिले)	अलवर, बारां, बाडमेर, बीकानेर, बून्दी, चूरू, धौलपुर, डुंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड, झुन्झुनु, जोधपुर, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरौही, टोंक एवं उदयपुर
सभी पंचायत समितियों की बीएसआर दर प्रस्तावित (6 जिले)	अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, चित्तौडगढ़, दौसा, जयपुर,
आंशिक पंचायत समितियों की बीएसआर दर प्रस्तावित (5 जिले)	भीलवाडा, जालौर, करौली, नागौर, एवं सवाई माधोपुर।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी पंचायत समितियों की बीएसआर दर "बीएसआर सॉफ्ट" पर प्रस्तावित कराकर एवं जिला दर निर्णायक समिति से अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची प्रभावी कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(के. के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. प्रोग्रामर, ग्राविवि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

Financial Year :-

BSR Approval Status as on 04/04/2022 for FY : 2022-

क्र.सं	जिले का नाम	पंचायत समितियों की संख्या	पं.स. स्तरीय दर सर्वेक्षण एवम प्रस्तावक समिति की बैठक कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. Propose कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. प्रभावी कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	एक से अधिक बार बी.एस.आर. प्रभावी करने वाली पंचायत समितियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	11	0	11	0	0
2	अलवर	16	0	0	16	0
3	बासवाड़ा	11	0	11	0	0
4	बारां	8	0	0	8	0
5	बाड़मेर	21	0	0	21	0
6	भरतपुर	12	0	12	0	0
7	भीलवाड़ा	14	0	11	0	0
8	बीकानेर	9	0	0	9	0
9	बुन्दी	5	0	0	5	0
10	चित्तौड़गढ़	11	0	11	0	0
11	चुरू	7	0	0	7	0
12	दौसा	11	0	11	0	0
13	धीलपुर	6	0	0	6	0
14	इंगरपुर	10	0	0	10	0
15	गंगानगर	9	0	0	9	0
16	हनुमानगढ़	7	0	0	7	0
17	जयपुर	22	0	22	0	0
18	जैसलमेर	7	0	0	7	0
19	जालोर	10	0	1	8	0
20	झालावाड़	8	0	0	8	0
21	झुंझुनू	11	0	0	11	0
22	जोधपुर	21	0	0	21	0
23	करोली	8	0	3	4	0
24	कोटा	5	0	0	5	0
25	नागीर	15	0	14	0	0
26	पाली	10	0	0	10	0
27	प्रतापगढ़	8	0	0	8	0
28	राजसमन्द	8	0	0	8	0
29	सवाई माधीपुर	7	0	5	0	0
30	सीकर	12	0	0	12	0
31	सिरोही	5	0	0	5	0
32	टोंक	7	0	0	7	0
33	उदयपुर	20	0	0	20	0
	Total	352	0	112	232	0